रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1614] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 24, 2019/ज्येष्ठ 3, 1941
No. 1614] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 24, 2019/ JYAISTHA 3, 1941

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2019

का.आ. 1806(अ).—जबकि, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यक्तियों एवं संगठनों की कतिपय विधिविरुद्ध गतिविधियों के और अधिक प्रभावी ढंग से निवारण तथा आतंकवादी गतिविधियों एवं उनसे संबंधित मामलों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए लागू किया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अनुसार 'आतंकवादी संगठन' से तात्पर्य उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किसी संगठन अथवा इस प्रकार सूचीबद्ध किसी ऐसे संगठन से है जो इसी नाम से कार्य कर रहा है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची निहित है;

और जबकि, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश वर्ष 1998 में अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य जिहाद के जरिये खलीफा शासन की स्थापना करना है;

और जबकि, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश और इसके संगठन यथा जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया या जमात-उल-मुजाहिदीन हिन्दुस्तान एवं इनके रूप (जिन्हें इसमें इसके बाद सामूहिक रूप से जेएमबी कहा गया है) ने आतंकवादी कृत्य किए हैं, आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा दिया है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को कट्टर बनाने और उनकी भर्ती करने में संलग्न रहा है;

और जबकि, जेएमबी आतंकवादी गतिविधियों, विस्फोटकों/रसायनों की अधिप्राप्ति और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरणों के संयोजन के लिए भर्ती और निधियां एकत्र करने में लगा हुआ था;

और जबकि, बर्दवान बम विस्फोट (02 अक्तूबर, 2014) तथा बोध गया विस्फोट (19 जनवरी, 2018) में अन्वेषण अभिकरण द्वारा जेएमबी के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता साबित की गई है;

और जबकि, असम पुलिस ने अपने द्वारा पंजीकृत पांच मामलों में जेएमबी की संलिप्तता पाई है तथा जेएमबी से संबंधित कुल छप्पन अभियुक्तों को असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था;

और जबकि, अन्वेषणों से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों के जिलों में भारत-बांग्लादेश सीमा के दस किलोमीटर क्षेत्र के भीतर स्थायी अड्डे बनाने की जेएमबी की योजना तथा भारतीय उप-महाद्वीप में खलीफा शासन स्थापित करने के व्यापक उद्देश्य से दक्षिण भारत में इसका नेटवर्क फैलाने की योजनाओं का भी पता चला है;

और जबकि, केंद्र सरकार का यह मानना है कि 'जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान तथा उनके रूप' आतंकवाद में संलिप्त हैं क्योंकि इन्होनें भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों को अंजाम दिया है तथा उनमें भाग लिया है;

इसलिए अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है नामत:-

उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के उपरांत निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, नामत:-

"42. जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान तथा इसके सभी रूप।"

[फा. सं. 11034/13/2018-सीटी-I]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

नोट:- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में पिछली बार भारत सरकार की दिनांक 05 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 693(अ) के *तहत* संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2019

S.O. 1806(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh' came into existence in the year 1998 with the objective of establishing an Caliphate through Jihad;

And whereas, the Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh and its formations like Jamaat-ul-Mujahideen India or Jamaat-ul-Mujahideen Hindustan and their manifestations (hereinafter collectively referred as the JMB) have committed acts of terrorism, promoted acts of terrorism and have been engaged in radicalisation and recruitment of youth(s) for terrorist activities in India;

And whereas, the JMB was engaged in recruitment and raising funds for terrorist activities, procurement of explosives/chemicals and assembling of Improvised Explosives Devices;

And whereas, involvement of JMB cadres has been established by the Investigation agency in the Burdwan bomb blast (2nd October, 2014) and Bodh Gaya Blast (19 January, 2018);

And whereas, Assam Police have found involvement of JMB in five cases registered by them and a total of fifty six accused belonging to JMB were arrested by the Assam Police;

And whereas, investigations have also revealed JMB's plan of making permanent bases within ten kilometers. along the indo-Bangladesh border in the districts of States of West Bengal, Assam and Tripura and plans of spreading its network in South India with an overarching motive to establish Caliphate in the Indian subcontinent.

And whereas, the Central Government believes that the 'Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh or Jamaat-ul-Mujahideen India or Jamaat-ul-Mujahideen Hindustan and all their manifestations' are involved in terrorism as they have committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 41 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"42. Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh or Jamaat-ul-Mujahideen India or Jamaat-ul-Mujahideen Hindustan and all its manifestations.".

[F.No. 11034/13/2018-CT-I]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Note:- The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* notification of the Government of India number S.O. 693(E), dated the 5th February, 2019.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.24 18:05:41 +05'30'